

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत
बईजलास:- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
:- श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

:- वादीगण :-

बनाम

:- प्रतिवादी :-

1. आसूराम पुत्र भदाराम
2. मोतीराम पुत्र भदाराम
जातियान गुर्जर निवासीगण
निम्बेडा खुर्द (दूकडा) तहसील
जैतारण जिला ब्यावर

तहसीलदार एवं उप पंजीयन
अधिकारी जैतारण जिला ब्यावर
राजस्थान।

मु0न0 :रा0वा0स0- 416/2019 (187/2019)

राजस्व वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-.....
व हाजरी श्री महेन्द्रसिंह बारहठ, वादीगण मिनजानिब मुब्दई व तहसीलदार जैतारण,
प्रतिवादी मिनजानिब मुब्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी
सरहद मौजा विजयगढ़ पटवार हल्का दूकडा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान
में स्थित खसरा संख्या 226 रकबा 09 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या
227 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 228 रकबा
00 बीघा 07 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 229 रकबा 04 बीघा 15
बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 230 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा किस्म
चाही दोयम व खसरा संख्या 231 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा किस्म चाही सोयम
कुल खसरा 06 कुल रकबा 45 बीघा 16 बिस्वा आई हुई है, के राजस्व रेकर्ड में
अंकित प्रविष्टि 'आसुराम पुत्र चंदाराम' के स्थान पर 'आसू राम पुत्र भदा राम' व
'मोतीराम पुत्र चंदाराम' के स्थान पर 'मोती राम पुत्र भदा राम' दर्ज किये जाने
की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां
यथावत रहेगी।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
...-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।
बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 07.01.2025 को
जारी किया गया।

मोहर



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुब्दई	रुपये	पैसे	मुब्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00		स्टाम्प वकालतनामा	0.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	4.00		मुल्फरिक	0.00	
मिजान:-	8.00		मिजान:-	0.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।